

कार्यालय जिला पंचायत, प्रयागराज।

पत्रांक: 2649/निर्माण/भवनमानचित्र/2023-24

दिनांक: 07/02/24

न्यू इरा पब्लिक स्कूल,
प्रो० महेन्द्र कुमार मिश्र,
पुत्र स्व० शोभनाथ मिश्र,
पता- ग्राम जोरवट, पो० खीरी तह० कोरांव,
जनपद- प्रयागराज।

अनुज्ञा पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2023 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खाता सं० 0028 आराजी सं० 209 रकबा 0.1540 हे० गाटा सं० 210ख रकबा 0.0460 हे० पर पूर्व निर्मित न्यू इरा पब्लिक स्कूल पता- ग्राम जोरवट पो० खीरी तह० कोरांव, प्रयागराज में विद्यालय का कवर्ड एरिया 1386.685 वर्ग मी० पर निर्मित विद्यालय मानचित्र सरकारी गजट, उ०प्र० उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सं० 4790/23-10-2021 दिनांक 13.09.2022 ई० के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/प्रपत्र फर्जी अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा निर्गत की गयी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन के सम्मुख मार्ग पर सामग्री एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के जल मल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण की कुल लागत के सापेक्ष लेबर सेस का पंजीकरण एवं लेबर सेस की धनराशि जमा किए जाने का उत्तरदायित्व भवनस्वामी/संस्था का होगा।
6. प्रतिबंध यह है कि मुख्य मार्ग(राष्ट्रीय राज मार्ग एवं राजकीय मार्ग सहित) के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रुल्स/लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
7. प्रतिबंध यह रहेगा कि व्यवसायिक/शैक्षणिक भवन निर्माण कार्य मान चित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 1386.685 वर्ग मी० (भूमितल कवर्ड एरिया 789.95 वर्ग मी० एवं प्रथम तल कवर्ड एरिया 596.735 वर्ग मी०) एवं भूमितल ओपन एरिया 5630.05 वर्गमी० तथा प्रथम तल ओवर एरिया 193.215 में ही निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा।
8. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कराया जायेगा तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पुनः अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवनों के स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।

10. प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
11. प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
12. स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी प्रशासन द्वारा नियत गाईडलाइन/मानक के अनुसार बाध्यकारी होगी।
13. व्यावसायिक भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
14. शौचालय का निर्माण फ्लोर टाइप का होना चाहिए, जिसके लिए सेप्टिक टैंक, टैंक व शोकपिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
15. भवन की कुर्सी भवन के निकट गली सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी० रखी जाय, दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
16. निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
17. भारत सरकार अथवा उ०प्र० सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमन्य नहीं है।
18. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनके लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
19. उपरोक्त स्वीकृत मान चित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
20. किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, प्रयागराज इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय प्रयागराज का होगा।
21. स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
22. प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
23. स्वीकृत मान चित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चक मार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, प्रयागराज की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
24. प्रतिबंध यह रहेगा की भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
25. भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग, वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग भण्डारण व सुविधाओं के रख रखाव व सेवा तल भण्डारण व सुविधाओं के रख रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।
26. निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 05 किमी० की परिधि में 30 मी० से

4

ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

नोट- उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों एवं शर्तों का पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।


अभियन्ता

जिला पंचायत, प्रयागराज।
अभियन्ता
जिला पंचायत, प्रयागराज


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, प्रयागराज।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, प्रयागराज